

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई, 2017-आषाढ़ 23, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारे पक्षकार श्री रविप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद गुप्ता, निवासी बी 2/19, विनय नगर सेक्टर-4, जिला ग्वालियर जन्म दिनांक से चल रहा है हमारा पक्षकार आज के बाद रवि अग्रवाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना जाएगा। हमारे पक्षकार के नाम परिवर्तन करने में किसी, संस्था, निकाय, व्यक्ति अथवा समाज के किसी भी व्यक्ति को आपत्ति है तो मुझे या हमारे पक्षकार के पिता, या हमारे पक्षकार को लिखित में मेरे कार्यालय या हमारे पक्षकार के निज निवास पर आज दिनांक से 15 दिवस के अन्दर सूचित करें, अन्यथा उक्त समयावधि पश्चात् आपत्ति अमान्य होगी। हमारा पक्षकार उक्त समयावधि पश्चात् किसी भी आपत्ति न आने पर रवि प्रकाश अग्रवाल के स्थान पर रवि अग्रवाल नाम विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् लिखना प्रारम्भ कर देगा।

सुरेश अग्रवाल,

(209-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सूचित करता हूँ कि, मेरी बीमा पॉलिसी 203146958 ब्रांच मोतीमहल में त्रुटिवश रिंकू यादव दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम दीपक यादव है। जो कि सभी दस्तावेजों में दर्ज है। अतः मुझे दीपक यादव से जाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(रिंकू यादव)

(दीपक यादव)

(210-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम सुभाष चन्द्र जैन आत्मज केशरीमल जैन अंकित है। मैंने अपना उपनाम “जैन” के स्थान पर “नेमा” कर लिया है। मेरे शासकीय दस्तावेजों में, पेन कार्ड, आधार कार्ड, बोटर कार्ड तथा बैंक खाते

इत्यादि में मेरा नाम सुभाष चन्द्र नेमा पिता श्री केशरीमल नेमा है मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता है तथा यह दोनों नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं।

पुराना नाम :

नया नाम :

(सुभाष चन्द्र जैन)

(212-बी.)

(सुभाष चन्द्र नेमा)

जे-868 कोटरा सुल्तानाबाद,
भोपाल.

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, श्री अधिनाथ डेवलपर, जिसका कार्यालय 195 ए, प्रथम तल, सहारा कुंज, जोन-1, म. पी. नगर भोपाल है- प्लाट नं. -2, म. प्र. नगर, जोन-1, भोपाल है. फर्म र. नं. 58861/BPL/S/2011, में से भागीदार (1) श्रीमती श्वेता मोदी पल्ली श्री राजेश कुमार जैन, (2) श्री विजय मोदी आत्मज स्व. श्री पी के मोदी, (3) श्री नितिन जैन आत्मज श्री आर के जैन, (4) श्री सौरभ जैन आत्मज श्री वी के जैन, (5) हेमंत शर्मा आत्मज श्री जमुना प्रसाद शर्मा, (6) श्री देवेन्द्र जैन आत्मज श्री नेमीचंद जैन, (7) श्री संजय जैन आत्मज श्री एस सी जैन, (8) श्री राकेश जैन आत्मज श्री शीलचंद जैन एवं (9) श्री पुष्पेन्द्र जैन आत्मज श्री किशोर जैन फर्म की भागीदारी सेट दिनांक 21-01-2017 को पृथक हो गए हैं।

संभव सोगानी,
(अधिवक्ता).

(200-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन स्थित 22/4, श्रीकृष्णपुरम, वंदना कान्वेंट स्कूल के पाछे, गुना (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/00144/14, दिनांक 11-09-2014 है. जिसमें दिनांक 15-05-2017 को भागीदार श्री इंद्र सिंह किरार पुत्र श्री कमल सिंह धाकड़, निवासी 12, ग्राम पीपल खेड़ी, तहसील राथोगढ़, जिला गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन,
भैयालाल धाकड़,
(पार्टनर)
गुना.

(201-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म मैसर्स गीता श्री पलसेस, स्थित 117, कुम्भराज, जिला गुना जिसका पंजीयन क्र. 02/40/03/0084/17, दिनांक 29-06-2017 है. जिसमें दिनांक 11-12-2013 को भागीदारी अवधेश कुमार कासट पुत्र श्री निवास कासट, निवासी कुम्भराज, तह. चाचौड़, जिला गुना (म. प्र.) मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को अपित कासट पुत्र श्री अवधेश कासट, निवासी कुम्भराज, तह. चाचौड़, जिला गुना (म. प्र.) नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म-गीता श्री पलसेस,
मनोज कुमार कासट,
(भागीदार).

(202-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स राधे एसोसिएशन बी-07, पल्लवी नगर, बाबडिया रेल्वे क्रासिंग के पास, हुजूर भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0182/16, सन् 2016-17 है जिसमें दिनांक 31-08-2016 से निम्न भागीदारण विक्रत हो गये हैं।
 1. अरविन्द सिंह बघेल पुत्र श्री राजाराम बघेल उम्र 40 वर्ष, निवासी अटेर रोड, भिण्ड म. प्र., 2. मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री अमृतलाल शर्मा उम्र 40 वर्ष, निवासी नई अवधी चौबे का बाग, भिण्ड म. प्र., 3. राधेश्याम बघेल पुत्र श्री मुन्नालाल बघेल उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम सुखवासीपुरा, देपुरा, रेखोली भिण्ड म. प्र., 4. रिंशी जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन उम्र 28 वर्ष, निवासी परेड चौराहा, रोशन रोड, भिण्ड म. प्र., 5. विनोद जैन पुत्र श्री ताराचंद जैन उम्र 58 वर्ष, निवासी देव नगर कालोनी, इटावा रोड, भिण्ड म. प्र., 6. श्रीमती सुनीता तोमर पल्ली श्री महीपाल सिंह तोमर उम्र 48 वर्ष,

निवासी सी-९, शंकराचार्य होम्स बाग सेवनिया, भोपाल म. प्र., ७. श्रीमती सीमा कनकर पत्नी श्री प्रदीप कनकर उम्र 40 वर्ष, निवासी बी-०७, पल्लवी नगर, बाबड़िया रेल्वे क्रासिंग के पास, भोपाल म. प्र., ८. श्री अमीत उपाध्याय पुत्र श्री शिव वरन उपाध्याय उम्र 34 वर्ष, निवासी २०, काजी तनबीर गली, भिण्ड म. प्र., ९. श्री प्रदीप कनकर पुत्र स्व. श्री राधे श्याम कनकर उम्र 45, वर्ष, निवासी बी-०७, पल्लवी नगर, बाबड़िया रेल्वे क्रासिंग के पास, भोपाल म. प्र. शेष भागीदार सर्वश्री १. श्री श्याम सुंदर मालानी पुत्र श्री शिव नारायण मालानी उम्र 44 वर्ष, निवासी वार्ड नं. ११, उदयपुरा रायसेन म. प्र., २. श्री श्रीकांत राठी पुत्र श्री दामोदर राठी उम्र 42 वर्ष, निवासी मैन मार्केट उदयपुरा, रायसेन म. प्र., फर्म के व्यवसाय को फर्म के नए पते १०, रीषी वैली, वैशाली नगर, कोटरा सुलतानाबाद, भोपाल म. प्र. पर जारी रखेंगे। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

मैसर्स राधे एसोसिएट्स,

श्याम सुंदर मालानी

(पार्टनर),

फर्म का पता-१०, रीषी वैली, वैशाली नगर, कोटरा सुलतानाबाद,
(203-बी.) भोपाल (म. प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स सी. बी. एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी पंजीयन क्रमांक ०१/०१/०१/००१५५/०६, म. नं. एल. आई. जी. २०४, भारतीय निकेतन गोविन्दपुरा, भोपाल के भागीदारी विलेख में विघटन किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह लोधी एवं श्री पर्वत सिंह लोधी पुत्र श्री हल्के सिंह दोनों निवासी म. नं. एल. आई. जी. २०४, भारतीय निकेतन गोविन्दपुरा भोपाल आपसी सहमति से दिनांक ०१-०४-२०१७ को फर्म का विघटन कर दिया अब श्री पर्वतसिंह लोधी उक्त फर्म को प्रोपराइटर के रूप में संचालन करेंगे। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विघटन फर्म के भागीदार वर्तमान प्रोपराइटर फर्म से संबंधी कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो वह सूचना प्रकाशन से ७ दिन के भीतर में दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अथवा उक्त समय अवधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है एवं शून्य मानी जावेगी।

प्रमोद कुमार शर्मा,

(अधिवक्ता)

कार्यालय १९४, जोन-२, एम. पी. नगर,
(204-बी.) भोपाल (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स कटारे एण्ड कम्पनी स्थित २७/१०३८, किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर है जिसका पंजीयन क्रमांक ०२/४२/०१/००१३८/१०, दिनांक २०-१०-२०११ है। जिसमें दिनांक ०८-०५-२०१७ को भागीदार श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा, निवासी सिंहपुर रोड, मुरार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक ०८-०५-२०१७ से अनिल शर्मा पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल शर्मा, निवासी परशुराम बिहार कॉलोनी, सिंहपुर रोड, काशीपुरा, मुरार, ग्वालियर एवं श्रीमती आशा कटारे पति श्री बी. के. कटारे, निवासी किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर तथा गौरव कटारे पुत्र श्री राजेश कटारे, निवासी किचलू साहब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-कटारे एण्ड कम्पनी,

राजेश कटारे,

(भागीदार).

मुरार, ग्वालियर (म. प्र.).

(205-बी.)

जाहिर सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कराड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी ३०, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, इंदौर, भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. ०३/२७/०३/०००२०/०७, दिनांक ०१-०५-२००७ है में भागीदार श्री गुलाब सिंह पिता श्री आर. एल. यादव, निवासी-गायत्री भवन, मनरोनिया, सागर, म. प्र. को दिनांक ०१-०१-२००८ से तथा श्री यशवंत सिंह कराड़ा पिता श्री अमरसिंह कराड़ा, निवासी ३०, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, इंदौर को दिनांक ०१-०४-२०१७ भागीदारी अधिनियम, १९३२ के प्रावधानों के अंतर्गत रिटायर्ड हो गए हैं। दिनांक ०१-०४-२०१२ से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में श्री खुशाल सिंह कराड़ा पिता यशवंत सिंह कराड़ा, निवासी ३०, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, इंदौर को नवीन भागीदारी के रूप में सम्मिलित किया गया है। सो सूचित है।

फर्म-कराड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी,

ब्रजेन्द्र सिंह कराड़ा,

(भागीदार)

इंदौर.

(206-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public that our firm name M/s VIDHYA RAJ DAIRY AND FARMS registered on 6th day of July, 2015 with the Registrar of Firms, Indore (M. P.) is introducing new partner Mrs. Yashoda Gupta resident of FH-373, Scheme No. 54, Indore from 6th Day of May, 2015 in our Partnership Firm.

for -Vidhya Raj Dairy And Farms,
AKANKSHA KAKKAR,
(Partner).

(207-B.)

शुद्धि-पत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि ,फर्म मैसर्स मधुवन इन्टरप्राइजेज पार्टनरशिप स्थित कोटा वाला मोहल्ला, लोहामण्डी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0009/17, सन् 2017-18 है. जिसमें दिनांक 01 जून 2017 को नवीन कुमार जैन पुत्र श्री श्रीपति प्रसाद जैन, निवासी दाना ओली, लक्ष्मी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01 जून, 2017 को ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री पूरनचंद जैन, निवासी मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. जिसमें दिनांक 01 जून 2017 अंकित है उसकी जगह 01 अप्रैल 2017 पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

फर्म मैसर्स मधुवन इन्टरप्राइजेज,
लक्ष्मी जैन,
(भागीदार).

(208-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/s. HARIDAS" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00314/2009, Dated 20/03/2009 undergone the following changes:-

1. That the Principal place of business is shifted of Flat No. F-1, Nova Classic Apartment, Near Halalpura Bus Stand, Bairagarh Road, Bhopal w. e. f. 15-09-2016.

"M/s. Haridas",
INDRA DAS MENGHANI,
(Partner).

Flat No. F-1, Nova Classic Apartment,
Near Halalpura Bus Stand, Bairagarh Road,
Bhopal (M. P.)

(211-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार/पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 08,16 जून, 2017

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(2) के तहत]

क्र.2137/रीडर-1/17.—आवेदक श्री पूज्य उपाध्याय गुरु कस्तुरमुनि पावन धाम ट्रस्ट द्वारा जैन दिवाकर मार्ग खारीवाल मोहल्ला जावरा द्वारा ट्रस्ट महामंत्री सुजान मल कोचट्टा ने पब्लिक ट्रस्ट 1951 की धारा-4(2) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ट्रस्ट का गठन/पंजीयन बाबत निवेदन किया है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक

30-06-2017 को प्रातः 11:00 बजे उपखण्ड कार्यालय, जावरा में उपस्थित होकर अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिकारी अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवें। निर्धारित नियत दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि समाचारपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन रहेगी।

आर. पी.. वर्मा,

(1840)

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगवां, जिला सतना

प्रारूप क्र-4

[देखिए नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]
लोक न्यास न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगवां जिला सतना के समक्ष

आवेदक श्री उमाशंकर गुप्ता तनय श्री रामेश्वर गुप्त, निवासी चौक बजार अर्तरा उ. प्र. ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अधिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	श्री अयोध्यावासी वैश्य समाज रामजानकी धर्मशाला ट्रस्ट कामतानाथ मार्ग चित्रकूट मध्यप्रदेश।
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम कामता की आराजी नं. 952 रक्का 0.223 हे. एवं 956/1 रक्का 0.047 हे. (में मंदिर एवं धर्मशाला निर्मित हैं)।
चल सम्पत्ति	:	15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) मात्र।

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

ए. पी. द्विवेदी,

अनुविभागीय अधिकारी।

(1841)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

प्रारूप चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

चूँकि श्री प्रह्लाद पिता मोहनलाल पाटीदार, निवासी केलूखेड़ा वार्ड नंबर 5, मकान नंबर-27, पोस्ट पालसौड़ा, तहसील जीरन, जिला-नीमच, द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 11 जुलाई, 2017 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 11 जुलाई, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	"पाटीदार विकास परिषद, ट्रस्ट"
		निवासी नीमच, जिला नीमच।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक।
चल सम्पत्ति	:	5,000/- (अक्षरी रूपये पाँच हजार मात्र)

दिनांक 12-06-2017

(1842)

आदित्य शर्मा,
अनुबिभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]
समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

क्र.971/अ.वि.अ./वृत्त गो./17.—आवेदिका डॉ. मालती महावर आत्मज स्व. पूर्णचंद, निवासी-12/7, अजंता काम्प्लेक्स, बी सेक्टर इन्द्रपुरी (भेल गेट नं. 1) के सामने भोपाल मध्यप्रदेश की संस्था "श्री कृष्णकृपा मालती महावर बसंत परमार्थ न्यास" के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2017 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री कृष्णकृपा मालती महावर बसंत परमार्थ न्यास"
न्यास कार्यालय का पता	:	12/7 अजंता काम्प्लेक्स, बी-सेक्टर, इन्द्रपुरी (भेल गेट नं 1) के सामने भोपाल मध्यप्रदेश।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक।
चल सम्पत्ति	:	5000/- रुपये।

(1843)

मुकुल गुप्ता,
अनुबिभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुबिभाग-पुनासा, जिला खण्डवा
प्रकरण क्रमांक /बी-113(1)/2016-17.

प्रारूप-चार

दिनांक 22 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज, मांगलिक भवन ट्रस्ट ग्राम सुलगांव, तह. पुनासा, जिला खण्डवा की ओर से श्री दिलावरसिंह पिता कालूसिंह सिसोदिया, निवासी ग्राम सुलगांव वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष स्वयं उपस्थित होकर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 14 जुलाई, 2017 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकार्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज, मांगलिक भवन ट्रस्ट ग्राम सुलगांव,
न्यास कार्यालय का पता :	महाराणा प्रताप क्षत्रिय राजपूत समाज, मांगलिक भवन ट्रस्ट ग्राम सुलगांव, पोष्ट सुलगांव, तह. पुनासा, जिला खंडवा।

अनुसूची "अ"

चल संपत्ति :	501/- रुपये नगद
अचल संपत्ति :	निरंक

शीतला पटेल,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(1844)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, एम. पी. नगर, बृत्त भोपाल भोपाल, दिनांक जून, 2017

प्र. क्र./04/बी-113/2016-17.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत] समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल।

आवेदक न्यासी श्री अनुराग देव आ. श्री चन्द्र देव सिंह, निवासी 4सी/19, साकेत नगर, भोपाल द्वारा न्यायालय में पर्यावरण छात्र फाउन्डेशन न्यास, भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 17 जुलाई, 2017 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम :	"पर्यावरण छात्र फाउन्डेशन न्यास, भोपाल"
कार्यालय का पता :	एफ-13, राधाकृष्ण काम्पलेक्स, एम. पी. नगर जोन-2 भोपाल मध्यप्रदेश।
अचल सम्पत्ति :	निरंक
चल सम्पत्ति :	30,000/- रुपये।

रवि कुमार सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार

(1845)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास, सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र.2299वार्ड/वी/121 वर्ष 2015-16

मौजा दयानंद वार्ड सागर

क्र. 1272

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अशोक कुमार जैन बल्द स्व. कोमलचंद जैन, अध्यक्ष, सचिव मुन्नालाल जैन राज बल्द स्व. मौजीलाल जैन, निवासी दयानंद वार्ड सागर द्वारा नियम 4(3) मध्यप्रदेश लोक न्यास के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर "श्री नर्मदा प्रसाद शीलरानी जैन ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम पते निम्नानुसार हैं:-

1. श्री प्रकाशचंद पिता स्व. श्री रामलाल जैन मोराजी के सामने लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर
2. मास्टर राजकुमार पिता श्री खेमचंद जैन घुवारा, जिला छतरपुर
3. मास्टर उत्तमचंद पिता श्री ज्ञानचंद जैन घुवारा, जिला छतरपुर
4. श्री राजेश कुमार पिता श्री निर्मल कुमार निर्मल स्टोर, सागर
5. सेठ अशोक कुमार पिता श्री कोमलचंद जैन, नमकमंडी सागर
6. शाह ऋषभ कुमार पिता स्व. श्री बाबूलाल जैन, सागर
7. प्रोफेसर सुभाष जैन पिता श्री प्रेमचंद जैन, सागर
8. शाह प्रदीप कुमार पिता श्री कोमलचंद जैन, सागर
9. श्री मुनालाल जैन राज पिता मौजीलाल जैन, सागर
10. श्री कमलेश कुमार पिता श्री राजाराम जैन, सागर
11. श्री जीवनलाल जैन पिता बाबूलाल जैन, सागर

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास का नाम पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

लोक न्यास का नाम	:	श्री नर्मदा प्रसाद शीलरानी जैन ट्रस्ट
पता	:	दयानंद वार्ड सागर
चल सम्पत्ति	:	बैंक खाते में जमाधन 167128/-रुपये
अचल सम्पत्ति (क)	:	मकान दयानंद वार्ड नगर निगम सागर स्थित है जिसकी कीमत 20,00,000/-
(ख) न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्योरे	:	दयानंद वार्ड नगर निगम सागर स्थित मकान क्र. 19 के नगर निगम नामांतरण पंजी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा कटरा बाजार सागर में खोले गये बचतखाता क्र. 3862 की पासबुक, एफ. डी. आर. 3524/269/10 की प्रतिलिपि सूची अनुसार।

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्ट्र्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 10 जुलाई, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने प्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

पेशी दिनांक 10 -07-2017

जारी दिनांक 30-05-2017

(1846)

एल. के. खरे,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/941.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पुष्पगिरी, पंजीयन क्रमांक 1480, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को आदेश क्रमांक 367, दिनांक 16 फरवरी, 2016 से परिसमाप्त में लाया जाकर श्री व्ही. के. द्विवेदी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्पत्ति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये युनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है।

कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पुष्टिगिरी का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. द्विवेदी, को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/942.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत श्री ओम साईराम आदि, उत्पादक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सूरलाय, पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 19 मार्च, 2013 को आदेश क्रमांक 817, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. तिवारी, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत श्री ओम साईराम आदि. उत्पादक मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सूरलाय का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य, को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-A)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/943.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत मयूर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महूखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1549, दिनांक 27 फरवरी, 2015 को आदेश क्रमांक 822, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. एस. बाल्के अंके. अधि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक

एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत मयूर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महूखेड़ा का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. एस. बाल्के, को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-B)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/944.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत गंगा धारा आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, रोहन्या, पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 19 मार्च, 2013 को आदेश क्रमांक 816, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. सोनी. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत गंगा धारा आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, रोहन्या का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री आर. के. सोनी, को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-C)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/945.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत ई. आई. जी. पेठी साखा सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को आदेश क्रमांक 850, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती कृष्णा पपरोड़, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत ई. आई. जी. पेठी साखा सहकारी संस्था मर्यादित, देवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्रीमती कृष्णा पपरोड़, को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में

संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-D)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/946.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत सबेरा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 23 जनवरी, 2002 को आदेश क्रमांक 843, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. आर्य, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत सबेरा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य, उप-अंके. को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ। एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-E)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/947.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिलवानी, पंजीयन क्रमांक 1517, दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आदेश क्रमांक 866, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती अनिता मेहरा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिलवानी का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्रीमती अनिता मेहरा, को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ। एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-F)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/948.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, किटी (कोण्टा), पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 08 अगस्त, 2006 को आदेश क्रमांक 836, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री देवेन्द्र कुमार आर्य को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, किटी (कोण्टा) का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री देवेन्द्र कुमार आर्य को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ, एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-G)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/949.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत सुमन श्री प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 23 जून, 2006 को आदेश क्रमांक 814, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. आर्य, उप अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत सुमन श्री प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य, उप अंके. को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ, एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-H)

देवास, दिनांक 12 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/950.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत देव श्री फल-साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, मुरम्या, पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 11 जुलाई, 2001 को आदेश क्रमांक 1292, दिनांक 11 मई, 2012 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आई. एम. कुरेशी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिषेक्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत देव श्री फल-साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, मुरम्या का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री धर्मेन्द्र मालवीय को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ, एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लिखित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 12 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-I)

देवास, दिनांक 20 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

उपाध्यक्ष,

साई श्री लक्ष्मी साख सहकारी

संस्था मर्या., देवास।

क्र./परि/2017/983.—आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही हैं एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था साई श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक JRCS/03, दिनांक 04 फरवरी, 2014 का पंजीयन किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं की जा रही हैं और वे संस्था को नहीं चलाना चाहते हैं तथा संस्था वर्ष 2014-15 से बंद होकर अकार्यशील हैं। संस्था के जनवरी 2012 के पश्चात् निर्वाचन भी नहीं हुए हैं। संस्था द्वारा नियमों का पालन न किये जाने परिसमाप्त मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाने से पूर्व इस “कारण बताओं सूचना-पत्र” के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें। उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे।

यह कारण बताओं सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-J)

देवास, दिनांक 20 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधाक,

श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था,

मर्या., (देवास) नाना धाराखेड़ी, तह. सोनकच्छ।

क्र./परि/2017/984.—आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही हैं एवं जिस प्रयोजन के लिये संस्था श्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नानाधाराखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1557, दिनांक 18 मार्च, 2015 का पंजीयन किया गया था। उसकी पूर्ति नहीं की जा रही हैं और वे संस्था को नहीं चलाना चाहते हैं तथा संस्था का अंकेक्षण भी एक वर्ष से नहीं हुआ हैं। संस्था संचालक मंडल की बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2017 में निर्णय लिया गया कि संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की जावे।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-आयुक्त, सहकारिता जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाने से पूर्व इस “कारण बताओ सूचना-पत्र” के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूं कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें। उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम की धारा-69(2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे।

यह कारण बताओं सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1847-K)

देवास, दिनांक 20 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2017/985.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 812, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आम गुराड़िया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 15 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक (दुग्ध संघ इन्डैर) को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. कोठारी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आम गुराड़िया का पंजीयन निरस्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 20 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

बी. एस. कोठारी,

उप-पंजीयक,

(1847-L)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई, 2017-आषाढ़ 23, शके 1939

भाग 3 (2)

सांखिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 फरवरी, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सागर, मन्दसौर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक,-तहसील सागर, देवरी, राहतगढ़ (सागर), गरोठ (मन्दसौर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा व जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा, खरगौन, मन्दसौर, जबलपुर व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला अनूपपुर में फसल राहर दमोह खरगौन व मन्दसौर में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 फरवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, आगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधार हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाडेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड, मक्का, गेहूँ, चना अधिक सोयाबीन, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्री 5. शाढौरा				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बलदेवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा				
11. *जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुर्दि 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़ 1.0 .. 3.0 .. 1.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, जौ सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगावा 3. रामपुर-बघेलान 4. नारौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर 2. सिरपौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकर्चुलियान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. जैतपुर				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. राहर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर, अलसी, राई समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मटर, राई-सरसों, गेहूँ अधिक राहर, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर 2.0				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
23. *जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोडवा	..				
5. च. शेखर आ. नगर	..				
6. उदयगढ़	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, गन्ना अधिक. चना, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास मूँगफली, तुवर, गेहूँ अलसी राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेंगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. *जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. *जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बुरहानपुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारासपुर	..				
38. जिला थोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग अधिक. गेहूँ, धनिया कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, तुअर, मटर, मसूर, अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिडकिया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक चना, मटर, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, गन्ना, गेहूँ, मसूर, चना, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडवरारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेवांव 5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	..				
48. *जिला डिणडोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिणडोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांढुरा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिल्हुआ 10. चांद 11. हरई 12. उमरेठ 13. मोहखेड़ा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरधाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. खेरलांजी 4. बैहर 5. लालबरा 6. वारासिवनी 7. बिरसा 8. कटंगी 9. परसवाड़ा 10. किरनापुर	..				

टीप.-*जिला पन्ना, नीमच, रत्लाम, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, डिणडोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।